भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 2737

सोमवार, 9 मार्च, 2026/18 फाल्गुन, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

संगीतकार तानसेन के स्मारक पर पर्यटकों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव

2737. श्री भारत सिंह कुशवाहः

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ग्वालियर के बेहट गांव में स्थित संगीतकार तानसेन का जन्म स्थान रखरखाव न करने के कारण जर्जर हो गया है, जिससे पर्यटकों की संख्या पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा दिनांक 20.09.2024 के पत्र संख्या 5341 के माध्यम से ग्वालियर (मध्य प्रदेश) के बेहट गांव स्थित संगीतकार तानसेन स्मारक के जीर्णोद्धार कार्य के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) सहित प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था;

(ग) क्या सरकार का उक्त स्मारक के उन्नयन हेतु लंबित प्रस्ताव के शीघ्र निपटान का विचार है, और

(घ) यदि हां, तो इसके लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री **(श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)**

(क) से (घ): पर्यटन स्थलों और पर्यटन उत्पादों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

पर्यटन मंत्रालय, अपनी चल रही केंद्रीय क्षेत्र योजनाओं जैसे 'स्वदेश दर्शन (एसडी)', 'स्वदेश दर्शन 2.0 (एसडी 2.0)', 'चुनौती आधारित गंतव्य विकास (सीबीडीडी)'- स्वदेश दर्शन 2.0 योजना की एक उप-योजना, 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)', 'पर्यटन अवसंरचना विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता (एसीए)' के माध्यम से, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/केंद्रीय एजेंसियों के साथ परामर्श से पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करके उनके प्रयासों को संपूरित करता है।

पर्यटन परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय एजेंसियों से प्रस्ताव प्राप्त करना एक सतत प्रक्रिया है। प्राप्त प्रस्तावों की निर्धारित दिशा-निर्देशों के संदर्भ में जांच की जाती है और निर्धारित शर्तों की पूर्ति तथा निधियों की उपलब्धता के अधीन ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

****